अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफवी ( )आईपीआर/उ.नि.कुक्कुट/2014/ 264-307 दिनांक: 1/7/2014

1. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक, बीपी लैब, जयपुर
3. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, आरएसएलएमटीआई, जामडोली, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
6. उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी (नागौर)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियोंद्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 2013 (01.01.2014) की अचल सम्पत्तिविवरण प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह देखने में आया है कि बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भिजवा रहे हैं। शासन के पत्रांक प.13(76)का/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 25 जून 2014 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिन अधिकारियों ने अपना अचल सम्पत्ति का विवरण अभी तक भी प्रस्तुत नहीं किया है, ***उन्हें माह जुलाई 2014 में देय वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे। निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।***

अतः शासन के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 220–251 दिनांक 13.06.2014 द्वारा चाही गई वांछित सूचना तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि अचल सम्पत्ति विवरणों के अपलोड की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डा. राजेश मान)
निदेशक

OFFICE: PASHUDHAN BHAWAN, TONK ROAD, JAIPUR-302015
TEL NOS. 0141-2743331 (O) 0141-2743267(FAX); WEBSITE: www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in
OFFICE E-MAIL ADDRESS: compdah@yahoo.co.in: DIRECTOR, AHD E-MAIL: drm.dah@gmail.com

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2014

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 2013 (01.01.2014) की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो. प्र./2011 दिनांक 14.04.2011, 17.05.2011, 21.06.2012, 29.10.12 एवं 08.04.2013 की ओर आकर्षित करना चाहूगां, जिसके द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल संपति का विवरण प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जाये। समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिऐ जाते है कि अचल सम्पति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं आगामी एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावें।

समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निदेर्शित किया जाता है कि इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव